(ख) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधान के अनुसार, किसी भी खनिज की रायल्टी दर में तीन वर्ष की अवधि में एक से अधिक बार वृद्धि नहीं की जा सकती है। रायल्टी दरों में पिछला संशोधन 5.5.87 को हुआ था। तदनुसार, अगले संशोधन पर केन्द्र सरकार द्वारा 5.5.90 को या उसके बाद ही विचार किया जा सकता था।

(ग) जी हां, मामला सरकार के विचाराधीन है।

(घ) खनिजों पर सैस लगाने हेतु राज्य सरकारों को अधिकार देने के लिए, संबंधित कानून में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राज्यों द्वारा 4.4.91 तक वसूल सैस एवं अन्य खनिज लेवियों, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के 4.4.91 के फैसले के आलोक में राज्य सरकारों द्वारा लौटाया जाना है, को वैध करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) राज्य सरकारें, खनिजों (कोयला, लिग्नाइट और भराई रेत को छोड़कर) पर मई, 1987 से प्रभावी प्रचलित दरों पर रायल्टी वसूल कर रही है, इन दरों में संशोधन पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

**भारत गोल्ड माइन्स को हुआ घाटा**

3447. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन**
**श्री राम जेठमलानी :**

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भारत गोल्ड माइंस को पिछले कई वर्षों से घाटा हो रहा है; और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उपक्रम को कितना वित्तीय घाटा हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने घाटे की क्षति-पूर्ति के लिए उपक्रम को कोई राज-सहायता प्रदान की है और यदि हां, तो उपक्रम को कितनी राज सहायता दी गई है; और

(ग) उपक्रम के व्यय को कम करने के लिए पिछले वर्षों के दौरान क्या कोई उपाय किए गए थे और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यय में कितनी कमी की गई और चालू वर्ष के दौरान व्यय में कमी करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

**खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)** : (क) और (ख) भारत गोल्ड माइंस लि० अयस्क भंडार में कमी, ग्रेड गिरावट, अति गहराई पर खनन, फालतू श्रमिकों और कठिन खनन दशाओं के कारण, 1972–73 से (1979–80 और 1980–81 को छोड़ कर) घाटा उठा रही है। गत तीन वर्षों के दौरान कंपनी को हुए घाटे और उसकी पूर्ति हेतु दी गई सबसीडी का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(करोड़ रुपए)

| | 1988–89 | 1989–90 | 1990–91 | जोड़ |
|---|---|---|---|---|
| शुद्ध हानि . . . | 12.62 | 35.17 | 35.29 | 83.08 |
| दी गई सबसीडी . . | 5.40 | 10.66 | 27.17 | 43.23 |

(ग) कंपनी का घाटा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि वह कोलार गोल्ड फील्ड की 110 वर्ष पुरानी अलाभकारी खानों का संचालन कर रही है । अस्तु, सरकार ने कोलार गोल्ड फील्ड खानों को 7 वर्ष की अवधि में क्रमिक आधार पर बन्द करने का नवम्बर, 1987 में निर्णय लिया। फिर भी, गत तीन वर्षों में कंपनी के खर्च में कोई कमी नहीं आई । ऐसा अनावश्यक श्रमिक संख्या, खानों की क्रमिक बंदी से कम उत्पादन, अधिक उत्पादन लागत, बिजली, पानी और अन्य आदान लागतों में वृद्धि तथा मजदूरी वृद्धि के कारण हुआ है। तथापि, कंपनी द्वारा खर्च कटौती हेतु किए गए उपायों से निम्नलिखित मदों में बचत हुई है :–

(1) अनुत्पादक क्षेत्रों से कामगारों को हटाकर उत्पादक क्षेत्रों में लगाना, (1990–91 में 1.63 करोड़ रु० की बचत)।

(2) 1990–91 में बिजली खपत में 13% कटौती (4.71 लाख रु० की बचत)

(3) समयोपरि भत्ते में कटौती से बचत (चालू वर्ष में सितम्बर, 1991 तक 32 लाख रुपए की बचत)।

कंपनी ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के अन्तर्गत रिटायरमेंट लेने के लिये करीब 1000 कामगारों को राजी कर लिया है, जिससे हर वर्ष 2.5 करोड़ रुपए की बचत की आशा है चालू वर्ष की बचत 1.32 करोड़ रु० है।

**पुरुलिया, पश्चिमी बंगाल में सोने के भंडार**

3448. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**
**श्री रणजीत सिंह :**

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में एक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप पुरुलिया, पश्चिमी बंगाल में सोने के भंडारों का पता चला है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के आधार पर देश में सोने के भंडारों की कुल मात्रा का आकलन किया गया है और यदि हां, तो इसकी अनुमानित मात्रा कितनी है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सोने का वार्षिक उत्पादन कितना रहा है ;

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)** : (क) पश्चिमी बंगाल के पुरूलिया जिले में कोई स्वर्ण निक्षेप नहीं मिला है किन्तु नदी बाल और डोलमा ज्वालामुखीय चट्टान में सोना पाए जाने की सूचना है । पुरूलिया जिले में स्वर्ण खनिजीकरण के संभावित आर्थिक क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण हो रहा है।

(ख) विभिन्न एजेंसियों द्वारा गवेक्षण के फलस्वरूप, देश के विभिन्न भागों में कुल निकासी योग्य स्वर्ण अयस्क भंडार, 1.1.1985 को 10.599 मिलियन टन था जिनमें 2.40 ग्राम/टन से 6.22 ग्राम/टन स्वर्ण अंश हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित सोने की मात्रा और मूल्य विवरण में दिये गये हैं ।